न्यायालय–विशिष्ट न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) प्रकरण, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी – सुनीता बेड़ा, आर.जे.एस. (डी.जे. कैडर)

विविध दांडिक प्रकरण संख्या – 171/2026 (सी.आई.एस सं. 125/2026)

सी.एन.आर. संख्या – RJHG060003502026

1. कृष्ण कुमार पुत्र देवीलाल, उम्र–45 वर्ष, निवासी–वार्ड नंबर 12, चक 16 एसटीजी रोही चक जहाना पुलिस थाना सदर हनुमानगढ़।
2. आनन्द पुत्र रामचंद्र, उम्र–18 वर्ष, निवासी–वार्ड नं. 12, चक 16 एसटीजी रोही चक जहाना पुलिस थाना सदर हनुमानगढ़।

––प्रार्थीगण/अभियुक्तगण

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये विशिष्ट लोक अभियोजक, हनुमानगढ़।

––अप्रार्थी––

प्रथम जमानत प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा–483 भा.ना.सु.सं. प्राथमिकी सं. 143/2026 पुलिस थाना सदर हनुमानगढ़, अपराध अन्तर्गत धारा 115(2), 126(2), 3(5) भारतीय न्याय संहिता, 2023 व धारा 3(1)(S) एससी /एसटी एक्ट

उपस्थित:–
1– श्री उग्रसेन नैण– विद्वान अधिवक्ता वास्ते प्रार्थी/अभियुक्त।
2– श्री पवन श्रीवास्तव–विद्वान विशिष्ट लोक अभियोजक वास्ते राज्य पक्ष।
3– परिवादी की ओर से कोई उपस्थित नहीं।

–– आदेश:––

दिनांक:–02.06.2026

1. प्रार्थी/अभियुक्त कृष्ण कुमार एवं आनन्द की ओर से यह प्रथम जमानत आवेदन अन्तर्गत धारा 483 भा.ना.सु.सं. प्रस्तुत किया गया, जिसकी नकल विद्वान विशिष्ट लोक अभियोजक को नियमानुसार दिलाई गई। हस्तगत जमानत प्रार्थना पत्र की सुनवाई से पूर्व विशिष्ट लोक अभियोजक द्वारा परिवादी को नियमानुसार सूचना देना जाहिर किया। उभय पक्ष की बहस सुनी गई। केसडायरी व तथ्यात्मक रिपोर्ट का अवलोकन किया गया।

2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि दिनांक 27.04.2026 को परिवादी प्रेम कुमार ने पुलिस थाना सदर हनुमानगढ़ के समक्ष एक लिखित रिपोर्ट पेश की, जिस पर हस्तगत मामले की प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 143/2026, अपराध

अन्तर्गत धारा 115(2), 126(2), 3(5) भारतीय न्याय संहिता, 2023 व धारा 3(1)(S) एससी/एसटी एक्ट पुलिस थाना सदर हनुमानगढ़ में दर्ज हुई और इस मामले में अब तक के अनुसंधान से प्रार्थीगण/अभियुक्तगण कृष्ण कुमार व आनन्द के विरूद्ध धारा 115(2), 126(2), 3(5) भारतीय न्याय संहिता, 2023 व धारा 3(1)(S) एससी/एसटी एक्ट के अपराध प्रथम दृष्ट्या प्रमाणित पाए गए हैं। हस्तगत प्रकरण में प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को न्यायिक अभिरक्षा में प्रतिप्रेषित किया हुआ है तथा यह प्रकरण वर्तमान में अनुसंधान के अधीन चल रहा है। हस्तगत मामले की पत्रावली पर मौजूद तथ्योंनुसार प्रार्थीगण/अभियुक्तगण का पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड निम्नानुसार है–

क्र.सं.	मुकदमा नम्बर	पुलिस थाना	धारा	पुलिस नतीजा	अन्य विवरण
शून्य					

3. दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण/अभियुक्तगण ने जमानत प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की पुनरावृति करते हुए न्यायालय से निवेदन किया कि प्रार्थीगण के विरूद्ध उक्त मुकदमा झूठा दर्ज करवाया गया है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण पर एससी /एसटी एक्ट के अलावा शेष सभी आरोप जमानतीय प्रकृति के हैं। प्रार्थीगण/ अभियुक्तगण दिनांक 01.06.2026 से पुलिस/न्यायिक अभिरक्षा में है जिनके अन्य मुलजिमान के साथ जेल में रहने से उसके भविष्य पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। अनुसंधान एवं विचारण में समय लगेगा। अंत में उन्होंने इन सब तथ्यों को देखते हुए प्रार्थी/अभियुक्त की जमानत स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

4. विद्वान विशिष्ट लोक अभियोजक ने निवेदन किया कि प्रार्थीगण/ अभियुक्तगण पर धारा 115(2), 126(2), 3(5) भारतीय न्याय संहिता, 2023 व धारा 3(1)(S) एससी/एसटी एक्ट के आरोपित अपराध गंभीर प्रकृति के हैं। अतः अभियुक्तगण का जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

5. बहस उभय पक्ष सुनी गई। केसडायरी व तथ्यात्मक रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अध्ययन, अवलोकन किया गया।

6. हस्तगत मामले की केस डायरी व तथ्यात्मक रिपोर्ट के अवलोकन से प्रकट है कि अनुसंधान अधिकारी ने अब तक अनुसंधान से प्रार्थीगण/अभियुक्तगण पर धारा 115(2), 126(2),3(5) भारतीय न्याय संहिता, 2023 व धारा 3(1)(S) एससी/एसटी एक्ट के आरोप प्रमाणित माने हैं। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण दिनांक 01.06.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण पर एससी/एसटी एक्ट के अलावा शेष सभी आरोप जमानतीय प्रकृति के हैं। प्रकरण के अनुसंधान एवं विचारण में समय लगने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। अतः उक्त समस्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए एवं मामले के इस प्रक्रम पर गुणावगुण पर कोई

टिप्पणी किए बिना प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

--आदेश--

7. अतः प्रार्थीगण/अभियुक्तगण **कृष्ण कुमार व आनन्द** की ओर से धारा 483 भा.ना.सु.सं. के अन्तर्गत प्रस्तुत यह जमानत प्रार्थना पत्र एतद्द्वारा स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि उक्त प्रत्येक प्रार्थी/अभियुक्त यदि अपनी नियमित उपस्थिति बाबत् **तीस हजार रूपये का स्वयं का मुचलका व इसी कदर राशि की एक मौतबिर जमानत** इस न्यायालय के संतोषप्रद समाधान हेतु प्रस्तुत कर तस्दीक करा देवें तो उक्त प्रत्येक प्रार्थी/अभियुक्त को इस प्रकरण में जमानत पर आजाद कर दिया जावे।

ह0/-
(सुनीता बेड़ा)
विशिष्ट न्यायाधीश
एस.सी./एस.टी.(अत्याचार निवारण प्रकरण)
हनुमानगढ़

8. आदेश आज दिनांक 02.06.2026 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

ह0/-
(सुनीता बेड़ा)
विशिष्ट न्यायाधीश
एस.सी./एस.टी.(अत्याचार निवारण प्रकरण)
हनुमानगढ़

VINAY KUMAR
Digitally signed by VINAY KUMAR
Date: 2026.06.04 08:54:05 +0530